"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 — आषाढ़ 2, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2018/रास/यू-11. — राज्यपाल का सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-05-2018 द्वारा छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा-9 (2) के अंतर्गत गठित समिति को कुलपति पद के लिए तीन व्यक्तियों का पेनल अनुशंसित करने की अवधि छः सप्ताह निर्धारित की गयी है.

2. छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 9 (2) के अंतर्गत गठित समिति को कुलपति पद के नियुक्ति हेतु पेनल प्रस्तुत करने हेतु कंडिका 2 में अंकित अवधि में माननीय कुलाधिपति द्वारा 04 सप्ताह की समयावृद्धि की गयी है. समिति के द्वारा वांछित पेनल दिनांक 24-07-2018 तक प्रस्तुत किया जावेगा.

हस्ता./-
(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.